संख्या 39 /XI//05/82(32)/2003

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी
उप सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तरांचल देहरादून ।

पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग: देहरादून दिनांक 16 फरवरी,2005

विषयः- अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-001-04 में पुनर्विनियोग प्रस्ताव.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1183/प0-2/लेखा/2004-05 दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 एवं शासनादेश संख्या 9581/ XII/04/82(32)/2003 दिनांक 10.01.2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-पंचायती राज निदेशालय के अन्तर्गत 01-वेतन मानक मद में बजट प्राविधान है, के फलस्वरूप संलग्न प्रारूप-बी0एम0-15 में पुनर्वियोग के माध्यम से रुपये 45,000.00(रू0 पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं .

1. धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर ही किया जाय ।

2. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय ।

3 निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/ प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

4 उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र-बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

5 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19

क्रमश....2....पर

के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001- निदेशन तथा प्रकाशन-04-पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन के स्तम्भ-1 के लेखाशीर्षक परिवर्तों से पुनर्विनियोग से वहन किया जायेगा, जो साथ में संलग्न है.

6. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या 1363/वि0अनु0-2/2005 दिनांक 11 फरवरी, 2005 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव ।

संख्या 39 /XII/05/82(32)/2003 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3 जिलाधिकारी,देहरादून ।
4 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ उत्तरांचल 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून ।
6 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
7. वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव ।

शासनादेश संख्या 39 / XII /2005/82(32)/2003 दिनांक 16 फरवरी, 2005 का संलग्नक आय –व्ययक प्रपत्र–15

विभाग का नाम :– पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग

पुनर्विनियोग 2004–2005/आयोजनेत्तर

अनुदान संख्या–19

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाता है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8
2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर				2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनेत्तर			क–बचत का कारण:– स्वीकृत पदों का पूर्ण रूप से भरे न जाने के फलस्वरूप बचत हुई ।
001–निदेशन तथा प्रशासन				001–निदेशन तथा प्रशासन			
04–पंचायती राज निदेशालय				04–पंचायती राज निदेशालय			
				13–टेलीफोन 20	70		
				15–गाड़ियों का अनुरक्षण/ पैट्रोल आदि की खरीद 25	125		ख–पुनर्वियोग का औचित्य :– बजट व्यवस्था न्यून होने के कारण
01–वेतन 1250	614	400	236			1205	
योग:– 1250	**614**	**400**	**236**	**45**	**195**	1205	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल में उल्लेखित प्राविधानों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं होता है ।

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
उत्तरांचल
माजरा,सहारनपुर रोड,देहरादून ।

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(एम.एल.टम्टा)
संयुक्त सचिव,वित्त ।

संख्या 39 / XII /2005/82(32)/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, पंचायती राज ,उत्तरांचल देहरादून.
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून.
3. जिलाधिकारी, देहरादून.
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराचल देहरादून.
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ.
7. वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल ।
8. गार्ड फाईल ।

(जे0 पी0 जोशी)
उप सचिव ।